

आदेश

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के आधार पर जनपद बागेश्वर में कमेडीदेबी-भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी 0 2 से रंगधारा-मजकोट-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 1.050 है 0 की दुगनी अवन्त वन भूमि 2.100 है 0 जो ग्राम किलपारा पटवारी क्षेत्र बढियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 80 के पैमाईशी खेत नम्बर 646 रकवा 2.500 है 0, मध्ये 1.000 है 0, खेत नम्बर 647 रकवा 4.000 है 0 मध्ये 1.100 है 0, कुल खेत 02 कुल रकवा 2.100 है 0 श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/Xviii(11)/2012-18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 783/X-1-16/1(222)/2016 दिनांक 21 जुलाई, 2016 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 2.100 है 0 भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 27 / छबीस वन / 2016-17 दिनांक 29/10/2016

प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1-प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2-अधिशाली अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।
- 3-उपजिलाधिकारी, कपकोट।

4-तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट

को.शे.प्र.सत्यापित

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या- 36 / र०का०/व०भू०ह०/2016-17/दिनांक 10/11/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

250
207/
15/11/16

विषय :-

जनपद बागेश्वर में कमेडी देवी-भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के किमी० 2 से रंगधारा-मजकोट- चौनाला मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त 1.050 है० वन भूमि की दुगुनी अवनत वन भूमि 2.100 है० भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या 27/छब्बीस वन/ 2016-17, दिनांक 29/10/2016 के अनुपालन में ग्राम किलपारा पटवारी क्षेत्र बढियाकोट तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या 80 के पैमाईशी खेत नम्बर 646 रकवा 2.500 हैक्टेयर, मध्ये 1.000 हैक्टेयर, खेत नम्बर 647 रकवा 4.000 हैक्टेयर मध्ये 1.100 हैक्टेयर, कुल खेत 02रकवा 2.100 हैक्टेयर श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

जन 2016
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :-

- (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
- (02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

कोट प्रती स्थापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

तहसीलदार
कपकोट।

